पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद

भारतीय दण्ड संहिता - 1860

अध्याय – 01

प्रस्तावना

प्रस्तावना

- अपराध तथा समाज का संबंध अनादिकाल से रहा है।
- समाज को अपराधियो से बचाने के लिये दण्ड का प्रवाधान किया गया।
- सभ्य समाज में दण्ड का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
- सामाजिक शान्ति को भंग करने पर दण्ड की संरचना की गयी है।

- शान्ति तथा सुरक्षा से समाज को संरक्षित करने के लिये दण्ड राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है।
- प्रथम विधि आयोग की स्थापना सन् 1834 में की गई।
- लार्ड मैकाले द्वारा इसका नेतृत्व किया गया।
- 06 अक्टूबर 1860 को संहिता पारित हुई।
- 01 जनवरी 1862 में लागू की गई

अपराध के आवश्यक तत्व:-

- मानव
- आपराधिक आशय
- आपराधिक कृत्य
- मानव की क्षति

धारा 1- संहिता का विस्तार

- जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत

धारा 2

भारत के भीतर किये गये अपराधो का दण्ड

- भारत के भीतर किये गये अपराधों का दण्ड

धारा 3

भारत से परे किये गये किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध का दण्ड

- अपराध भारत से वाहर किया गया हो
- अपराध करने वाला व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो।

धारा 4

राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार

- भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया अपराध
- भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर किया गया अपराध
- किसी कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए किया गया अपराध।

धारा 5

कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना

- सैन्य न्यायालय द्वारा दण्ड देने पर रोक नही होगी।

अध्याय – 02

साधारण स्पष्टीकरण

धारा 6

संहिता में की परिभाषाओं का अपवादो के अध्याधीन

- परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाये।

धारा 10 - पुरुष एवं स्त्री

- पुरुष- किसी भी आयु का नर।
- स्त्री- किसी भी आयु की नारी।

धारा 14- सरकार का सेवक

- सरकार का सेवक
- कोई अधिकारी या सेवक।

धारा 21- लोक सेवक

लोक सेवक- विधि के अनुक्रम में नियुक्त कोई व्यक्ति इसमे तीनों सेनाये, न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी तथा कोई भी अन्य अधिकारी जिसका तामील लोक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है।

- न्यायालय का हर ऑफिसर, समापक, रिसिवर या कमिश्नर भी आता है।
- लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य

- हर मध्यस्थ या सक्षम लोक प्राधिकारी ।
- व्यक्ति को परिरोध मे रखने में सक्षम हो ।
- अपराधो को नियन्त्रित करने वाले अपराधो की इत्तिला देने वाले ।
- लोक स्वास्थय, क्षेम की संरक्षा करने वाले ।
- सरकार की ओर से सम्पत्ति को ग्रहण करने ।

- व्यय , सर्वेक्षण, संविदा करने या धन सम्बन्धि अन्वेषण या दस्तावेज वनाये या प्रमाणित करे।
- निर्वाचक नियमावली तैयार करे, प्रकाशित करे, सरकार की सेवा या वेतन में हो।
- लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन लेता हो।
- नगरआयुक्त भी लोक सेवक है।

धारा 22 जंगम सम्पत्ति (चल सम्पत्ति)

- जिसमें मूर्त सम्पत्ति भी आती है।
- भूबद्ध या भूमि से जुडी हुयी कोई वस्तु।

धारा 23- सदोष अभिलाभ

- अवैध रूप से प्राप्त लाभ
- सदोष हानि
- विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि।

धारा 24- बेईमानी से

- किसी को सदोष लाभ तथा अन्य को हानि।

धारा 25- कपट पूर्वक

- कपट के आशय से कार्य करना।

धारा 26- विश्वास करने का कारण

- प्रयाप्त हेतु रखने वाला व्यक्ति ।

धारा – 27

पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति

- मालिक की सम्पत्ति मानी जाती है।

धारा – 28 कूटकरण

इसके निम्नलिखित अवयव है

- एक वस्तु को दूसरे के समान बनाना।
- जिससे धोखा हो सके।
- ऐसा कार्य धोखा करने के आशय हो।
- कार्य दवारा धोखा दिये जाने की संभावना हो।

धारा 29- दस्तावेज

- किसी विषय का द्योतक है।
- इसके समतुल्य अन्य रुप में प्रदर्शित हर वस्तु सम्मलित है ।
- ऐसी सामग्री साक्ष्य के रुप में प्रयोग की जाये।

धारा 29(क)- इलेक्ट्रानिक अभिलेख

- आंकडा, रिकार्ड द्वारा प्राप्त की गयी छाया।
- फिल्म अथवा कम्प्यूटर द्वारा उत्पादित की गयी लघु क्लिप।
- इलेक्ट्रानिक रुप से भेजी गयी ध्वनि।

धारा 30- मूल्यवान प्रतिभूति

- जिससे कोई अधिकार सृजित हो।
- कोई ड्रिकी अवधारणा के आधार पर पारित की जा सके।
- प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी मे नही आती है।
- तलाक बिक्रय-बिलेख, किराया पत्र, बीमा पालिसी आदि इसके अन्तर्गत है।

धारा 22- जंगम सम्पत्ति (चल सम्पत्ति-)

- जिसमें मूर्त सम्पत्ति भी आती है।
- भूबद्ध या भूमि से जुडी हुयी कोई वस्तु।

धारा 23- सदोष अभिलाभ

- अवैध रूप से प्राप्त लाभ

सदोष हानि

- विधिक रूप से हकदार व्यक्ति की हानि।

धारा 24- बेईमानी से

- किसी को सदोष लाभ तथा अन्य को हानि।

धारा 25- कपट पूर्वक

- कपट के आशय से कार्य करना।

धारा 26- विश्वास करने का कारण

- पर्याप्त हेतु रखने वाला व्यक्ति।

धारा – 27

पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति

- मालिक की सम्पत्ति मानी जाती है।

धारा – 28 कूटकरण

- जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे कूटकरण कहलाता है।
- कूटकरण के लिए आवश्यक नही है कि नकल ठीक वैसे ही हो।

धारा 34

सामान्य आशय के अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य

आवश्यक तत्व –

- कोई आपराधिक कार्य
- व्यक्तियो द्वारा किया गया हो
- सामान्य आशय को अग्रसर करने में हो।
- उनके बीच निर्धारित योजना के अन्तर्गत कार्य हो।
- सभी अभियुक्त किसी न किसी प्रकार सम्मलित हो।
- सभी की शारिरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नही है।

धारा 44- क्षति

आवश्यक तत्व-

- किसी व्यक्ति को क्षति हो।
- अवैध रुप से क्षति कारित हो।
- शरीर, मन, ख्याति, सम्पत्ति के संबंध मे हो।

धारा 52- सदभाव पूर्वक

- सम्यक सतर्कता से किया गया हो।
- ध्यान तथा विश्वास के साथ किया गया हो।
- कार्य की प्रकृति, परिणाम एवं महत्व के संबंध में जानता हो।

धारा 52 क- संश्रय

- किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र आदि देना।
- आयुद्ध , गोला , बारुद ले जाने का साधन देना ।
- पकडे जाने से बचाना।
- पत्नी तथा पति द्वारा दिया गया संश्रय अपराध नहीं है।

अध्याय – 03

दण्डों के विषय में

धारा 53- दण्ड

- मृत्यु दण्ड
- आजीवन कारावास
- कारावास –

1. कठिन कारावास 2. सादा कारावास

- सम्पत्ति का समपहरण
- जुर्माना

धारा 75

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड

- 3 वर्ष या अधिक के दण्ड से दण्डित व्यक्ति पुनः अपराध करता है।
- वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक से दण्डित होगा।

अध्याय – 04

साधारण अपवाद

धारा 76

विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

तत्व निम्न हैः-

- व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो विधि द्वारा बाध्य है
- विधि द्वारा अपने को बाध्य समझता है।
- भूल तथ्य से सम्बन्धित होनी चाहिये विधि से नही।
- कार्य सदभावपूर्वक विश्वास के साथ होना चाहिये।

धारा 77

न्यायिकत: कार्य करते हुये न्यायधीश का कार्य

- न्यायधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है।
- जिसके बारे में उसे विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गयी हो।

धारा 78

न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य

- निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाये।
- निर्णय या आदेश के प्रवृत रहते की जाये।
- अधिकारिता के विपरित की जाये।
- विश्वास करता हो कि उसे वैसी अधिकारीता थी।

धारा 79

विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य

अवयवः-

- भूल तथ्य से सम्बन्धित हो विधि से नही।
- भूल सदभावना में की गयी हो।
- कर्ता विधि द्वारा कार्य करने के लिये अपने को अधिकृत मानता हो।

धारा 80- विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना

अवयव:-

- कार्य एक दुर्घटना या दुर्भाग्य हो।
- बिना आशय या ज्ञान के किया गया हो।
- वैध साधनों द्वारा वैध रीति से किया गया हो
- उचित सतर्कता और सावधानी से किया गया हो।

धारा 81 - कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है

अवयव:-

- जानता हो कि अपहानि होनी सम्भाव्य है।
- आपराधिक आशय के बिना किया जाता है।
- सदभावपूर्वक किया गया हो।
- अन्य अपहानि के निवारण के लिये किया गया हो।

धारा 82

सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य

अवयव:-

- ऐसा शिशु विवेक विहिन होता है।
- अपराध करने में सक्षम नही होता है।
- आयु के साक्ष्य का प्रमाण ही निर्दोष मानने का आधार है।

धारा 83- सात वर्ष से उपर किन्तु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य

अवयवः-

- इस आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य।
- आचरण की प्रकृति तथा परिणाम समझने में असमर्थ हो।
- ऐसी असमर्थता कार्य करते समय अस्तित्व में हो।

धारा 84- विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य

अवयव:-

- कार्य अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किया गया हो।
- कार्य की प्रकृति ना जानता हो।
- ऐसी अक्षमता उसके अस्वथ्य मस्तिष्क के कारण होनी चाहिये।
- कार्य करते समय अक्षमता अस्तित्व में हो।

धारा 85- ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय में पहुँचने में असमर्थ है।

अवयव:-

- मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ हो।
- दोषपूर्ण या विधिविरुद्ध था इससे जानने में समर्थ न हो
- जिस वस्तु ने उसे उन्मत किया था ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध दी गयी हो।

धारा 86

किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है

अवयव:-

- व्यक्ति स्वेच्छा से नशे में हो।
- नुकसान या क्षति पहुँचाने वाला कार्य करता हो।
- मत्तता बचाव तब नही होगी जब वह अपनी इच्छा से नशे का सेवन किया हो।

धारा 87-

सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी समभाव्यता का ज्ञान हो

अवयवः-

- कार्य ज्ञान तथा आशय से न किया गया हो।
- गम्भीर चोट न पहुँचाने के आशय किया गया हो।
- क्षति व्यक्ति की सहमति से की गयी हो।
- सहमति देने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- स्वेच्छा से दी हो।

धारा 88

किसी व्यक्ति के फायदे के लिये सम्मति से सदभावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नही है

अवयवः-

- कार्य उसके लाभ के लिये किया गया हो।
- उसकी सहमति से किया गया हो।
- सहमति विवक्षित या अभिवयक्त हो।
- सदभावपूर्वक किया गया हो।
- मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो।
- अपहानि से मृत्यु होनी सम्भाव्य हो।

धारा 89

संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिये सदभावपूर्वक किया गया कार्य

अवयव:-

- कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या पागल व्यक्ति के लाभ के लिय़े किया गया हो।
- सदभावपूर्वक किया गया हो।
- अभिभावक द्वारा सहमति दी गयी हो।
- सहमति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती हो ।

धारा 90

सम्मति, जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गयी है

अवयव:-

- अपहानि के भय से दी गयी हो।
- तथ्य के भ्रम के कारण दी गयी हो।
- 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गयी हो
- विकृतचित व्यक्ति द्वारा दी गयी हो।
- मत्त व्यक्ति द्वारा दी गयी हो।

धारा 91

ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है

अवयवः-

- कार्य कारित अपहानि के बिना स्वयं अपराध हो।
- सहमति के आधार पर बचाव नहीं कर सकता।
- कार्य विधि द्वारा मना किया गया हो।

धारा 92- सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सदभावपूर्वक किया गया कार्य।

अवयव:-

- कार्य व्यक्ति के फायदे के लिये किया गया हो।
- सदभावपूर्वक किया गया हो।
- परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत हो।
- सम्मति के बिना उसे बचाने के लिये किया गया हो।
- ऐसी परिस्थिति हो कि सम्मति देना सम्भव न हो।
- संरक्षक द्वारा सम्मति ली जा सकती है।

धारा 93- सदभावपूर्वक दी गई संसूचना

अवयव:-

- व्यक्ति को सदभावपूर्वक सूचित किया गया हो।
- उसके फायदे के लिये हो ।

धारा 94 - वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है

अवयव:-

- स्वेच्छा से दबाव के सम्मुख कार्य ना किया हो।
- कार्य धमकी से विवश होकर किया हो।
- मृत्यु का भय दिया गया हो।
- कर्ता के पास उक्त कार्य करने के अलावा कोई विकल्प न हो।

धारा 95- तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य

अवयवः-

- युक्तिसंगत व्यक्ति शिकायत न करे।
- कार्य तुच्छ प्रकृति का हो।
- क्षति की प्रकृति सामान्य हो।

धारा 96- प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें

अवयव:-

- कार्य अपनी व्यक्तिगत रक्षा के लिये किया गया हो।
- समाज की सहायता प्राप्त ना हो सकती हो।
- अपने शरीर तथा सम्पत्ति पर किये गये आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हो

धारा 97

शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

अवयवः-

- शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध स्वयं की हो।
- समाज की सहायता प्राप्त न हो सकती हो।
- अपने शरीर तथा सम्पत्ति पर किये गये आक्रमण के विरुद्ध हो।
- स्वंय तथा दूसरे की रक्षा करे।
- चोरी, लूट, रिष्टि या आपराधिक अतिचार के मामलो में अपनी सम्पत्ति की रक्षा करे।

धारा 98- ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतचित आदि हो

अवयवः-

- कार्य समझ की परिपक्कवता के अभाव में हो।
- विकृतचित्त व्यक्ति द्वारा किये जाने पर बचाव का अधिकार हो।
- मनः स्थिति के अभाव में किया हो।
- अवैध कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

धारा 99- कार्य जिनके विरूद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है

अवयवः-

- कार्य लोकसेवक द्वारा किया गया हो।
- सदभावपूर्वक किया गया हो।
- पदाभास के अन्तर्गत किया गया हो।
- मृत्यु या घोर उपहति की आंशका ना हो।

धारा 100- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है ?

- हमला मृत्यु का परिणाम न हो।
- परिणाम घोर उपहति हो ।
- बलात्कार करने के आशय से किया गया हो ।
- प्रकृति विरूद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हो।
- व्यपहरण या अपहरण के लिये हो।
- सदोष परिरोध से छुडाने के लिये प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न हो सके।
- तेजाब फेंक कर या सेवन कराने से सम्बन्धित हो।

धारा 101- कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है

- हमलावर की मृत्यु के अलावा कोई अपहानि।
- अपहानि सीमा से अधिक नही।
- अपहानि परिसीमाओं के अध्यधीन हो।

धारा 102- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बने रहना।

- शरीर को खतरे की आशंका उत्पन्न होने पर।
- अपराध करने के प्रयत्न या धमकी पर।
- भय समाप्त न होने तक बना रहेगा।

धारा 103- शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की प्रारम्भ और बना रहना

- लूट
- रात्रि गृह भेदन
- अग्नि द्वारा रिष्टि
- चोरी, रिष्टि या अतिचार से आशंका मृत्यु या घोर उपहति हो।
- अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि कार्य करना।

धारा 104- ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है

- धारा 99 में दिये गये निर्बन्धनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न।
- कोई अपहानि स्वेच्छया कारित करने तक का है।

धारा 105- सम्पत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना

- चोरी के विरुद्ध अपराधी के सम्पत्ति सहित पहुँच से बाहर हो जाने।
- लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर लेने तक।
- सम्पत्ति वापस प्राप्त कर लेने तक ।
- लूट में मृत्यु, घोर उपहति, सदोष अवरोध की आशंका बने रहने तक।
- अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध कार्य करने तक ।
- गृह भेदन में गृह भेदन शुरु होने तथा अन्त तक

धारा 106- घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार

जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो

- निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना।
- मृत्यु , घोर उपहति की आशंका ना हो।
- परिसीमा से अधिक न हो।

अध्याय – 05
दुष्प्रेरण के विषय में

धारा 107- किसी बात का दुष्प्रेरण- तब कहा जाता है

- कोई बात करने हेतु किसी को उकसाना
- षडयन्त्र अकेले या अन्य से मिलकर करने के उद्देश्य से।
- कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करना।

धारा 108- दुष्प्रेरक

- अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण।
- दुष्प्रेरि़त व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से कार्य करना।
- विधि अनुसार असमर्थ व्यक्ति द्वारा अपराध करना।

धारा 108 क

भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण

- भारत के बाहर या परे अपराध का।
- भारत में किये जाने पर अपराध होना।

<u>धारा 109- दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरुप किया जाएं, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपलब्ध नहीं है</u>

- दुष्प्रेऱण के अनुसरण में दुष्प्रेरित कार्य किया गया हो।
- संहिता में दण्ड का कोई अभिवयक्त उपबन्ध न हो।

<u>धारा 114- अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति</u>

- कार्य की प्रकृति निश्चित रुप से अपराध गठित करे।
- कार्य या अपराध किया गया हो।
- वह घटनास्थल पर उपस्थिति हो।
- अन्य व्यक्ति भले ही वास्तविक अपराध करे।

अध्याय – 05 क

आपराधिक षड्यंत्र

धारा 120 क- आपराधिक षडयन्त्र की परिभाषा

अवयव:-

- दो या अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता।
- अवैध कार्य।
- वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करना या करवाना।

धारा 120 ख- आपराधिक षड़यन्त्र का दण्ड

- मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के लिये उसी दण्ड से।
- दो वर्ष से कम दण्डनीय अपराध के लिये 6 मास या जुर्माना या दोनों।

अध्याय – 06

राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 121- भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना

- दण्ड – मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना

धारा 122- भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने के आशय से आयुद्ध आदि संग्रह करना।

- दण्ड – 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

धारा 123- युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना

- दण्ड – 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

धारा 124- किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना

- दण्ड – 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

धारा 124 क - राजद्रोह

- दण्ड- आजीवन कारावास या जुर्माना।

अध्याय – 07

सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 136- अभित्याजक को संश्रय देना

- दण्ड- दो वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से

धारा 140- सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

- दण्ड- 3 मास तक या जुर्माने से जो 500 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से।

अध्याय – 08

लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 141- विधि विरुद्ध जमाव

- पाँच या अधिक व्यक्तियों का उद्देश्य।
- आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा आतंकित करना है।

(क) केन्द्रीय सरकार या

(ख) राज्य सरकार या

(ग) संसद या

(घ) किसी लोकसेवक को

- किसी विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का विरोध करना।
- रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना।
- आपराधिक बल द्वारा

(क) किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या

(ख) किसी व्यक्ति को अमूर्त से बंचित करना या

(ग) किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना

- किसी व्यक्ति को आपराधिक बल द्वारा

(क) अवैध रूप से कार्य करना ।

(ख) वैध कार्य करने के लिये अवैध रुप से विवश करना।

धारा 142- विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना

- तथ्यों से परिचित होते हुए।
- जमाव बनाते हैं।
- साशय सम्मिलित या बना रहता है।

धारा 143- दण्ड

- 6 मास तक दण्ड या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 144- घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।

- दण्ड- दो वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 145- किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।

- दण्ड-2 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से ।

धारा 146- बल्वा करना

अवयव-

- अभियुक्तो की संख्या 5 या अधिक हो।
- उनका सामान्य उद्धेश्य एक हो।
- उस उद्धेश्य के अनुसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो।

धारा 147- बल्वा करने के लिए दण्ड

- दो वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 148- घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना

- दण्ड - तीन वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 149- विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किये गये अपराध का दोषी

अवयव-

- किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना।
- अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाए,
- हर सदस्य सम्भाव्य जानता हो।

धारा 151- पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिये जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित या बने रहना

- दण्ड- 6 मास तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 153 क- धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

- दण्ड- 03 वर्ष तक या जुर्माना या दोनो से।
- पूजा के स्थान आदि में अपराध करने की दशा में दण्ड 05 वर्ष और जुर्माना।

धारा 153 क (क)- किसी जुलूस में जानबूझ कर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना

- दण्ड- 06 मास तक और 2000 रुपये तक जुर्माना।

धारा 153 ख- राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का प्राख्यान

- दण्ड- 3 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से।
- अपराध उपासना स्थल पर किये जाने पर-
- दण्ड-05 वर्ष और जुर्माना।

धारा 159- दंगा

अवयव

- दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लड़ाई,
- लड़ाई किसी सार्वजनिक स्थान में हो,
- उनकी लड़ाई से लोक शान्ति को व्यवधान पहुँचे।

धारा 160- दंगा करने के लिये दण्ड

- एक मास तक या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से।

अध्याय – 09
लोक सेवको के द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 166- लोकसेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है

- दण्ड- एक वर्ष तक या जुर्माना से या दोनों से।

धारा 166 क- लोकसेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है

- दण्ड- 6 मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से।

धारा 166 ख- पीड़ित का उपचार न करने के लिये दण्ड

- दण्ड- 01 वर्ष तक या जुर्माना या दोनो से।

धारा 170- लोकसेवक का प्रतिरूपण

- दण्ड- दो वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 171- कपटपूर्ण आशय से लोकसेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना

- दण्ड-03 मास तक या 200 रुपये जुर्माना से या दोनों से।

अध्याय – 09 क
निर्वाचन सम्बन्धि अपराधों के विषय में

धारा 171 क

अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार की परिभाषा

- अभ्यर्थी के रुप नाम निर्दिष्ट किया हो।
- निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में खडे होने या ना होने का अधिकार।
- मत देने से विरत रहने का अधिकार।

धारा 171 ख- रिश्वत

- परितोषण देता है।
- किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करे।
- स्वंय के लिये या अन्य के लिये परितोषण प्राप्त करे।
- परितोषण प्राप्त करने के लिये सहमत हो।

धारा 171 ग- निर्वाचनों में असम्यक असर डालना

- निर्वाचन अधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना।
- प्रभावित करने का प्रयत्न करना।
- क्षति करने की धमकी देना।
- देवीय अप्रसाद या अध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन बनाना।

धारा 171 घ- निर्वाचनों में प्रतिरूपण

- जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से मत देना।
- एक बार मत दे चुकने के पश्चात पुनः मत देना।
- किसी प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करना।

धारा 171 ड़- रिश्वत के लिये दण्ड

- दण्ड- 1 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।
- परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से।

अध्याय – 10
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा 174- लोकसेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना

- दण्ड- 1 मास तक या 500 रुपये जुर्माना या दोनो से।
- किसी न्यायालय में उपस्थित न होने पर –
- दण्ड-06 मास तक या 1000 रुपये जुर्माना या दोनो।

धारा 174क- 1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी उदघोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी

- दण्ड-07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा182- इस साशय से मिथ्या इत्तिला देना लोकसेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति को उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए करे

- दण्ड- 6 माह तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से।

धारा 183- लोकसेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिये जाने का प्रतिरोध

- दण्ड- 6 माह तक या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से

धारा 184- लोकसेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी सम्पत्ति के विक्रय में बाधा डालना

- दण्ड- 1 माह तक या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से।

धारा 185- लोकसेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गयी सम्पत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना

- दण्ड- 1 माह तक या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से।

धारा 186- लोकसेवक के लोककृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना

- दण्ड- 3 माह तक या 500 रुपये जुर्माना या दोनों।

धारा 187- लोकसेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो

- दण्ड- 1 माह तक या 200 रुपये जुर्माना या दोनों से।
- यदि न्यायालय आदेश के निष्पादन में लोप किया जाता है-

दण्ड 6 माह तक या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से।

धारा 188- लोकसेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा

- दण्ड- 6 माह तक की या 1000 रुपये जुर्माना यो दोनों से।

अध्याय – 11

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 191- मिथ्या साक्ष्य देना

अवयव:

- सत्य कथन करने के लिये वैध रुप से आबद्ध हो।
- ऐसा सत्य कथन न किया गया हो।
- किसी विषय पर मिथ्या घोषणा करे।

धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना

अवयव-

- किसी परिस्थिति को उत्पन्न करना।
- किसी पुस्तक अथवा अभिलेख में मिथ्या प्रविष्टि करना।
- दस्तावेज रचना।
- न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत किया जाये।
- जिसके आधार पर न्यायालय गलत मत बनाये।

धारा 193- मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड

- दण्ड-7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
- न्यायायालय से भिन्न मामलों में -दण्ड
- 3 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 195 क- किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना

- दण्ड- 07 वर्ष या जुर्माना या दोनो से

धारा 196- उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है

- दण्ड-मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए दण्डित किया जाएगा।

धारा 201- अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना

- मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है तो दण्ड 7 वर्ष तक और जुर्माने से।
- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है तो दण्ड 03 वर्ष और जुर्माने से।
- 10 वर्ष से कम से दण्डनीय है तो उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि की एक-चौथाई कारावास या जुर्माना या दोनों से ।

धारा 211- क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप

- दण्ड- 07 वर्ष और जुर्माने से

धारा 212- अपराधी को संश्रय देना

- दण्ड-05 वर्ष और जुर्माना
- पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे को संश्रय देने पर यह धारा लागू नहीं है।

धारा 216- ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा हो या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है

- दण्ड-07 वर्ष और जुर्माना

धारा 216 क- लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 218 -किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोकसेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना

- दण्ड- 3 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 223- लोकसेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना या सहन करना

- दण्ड- 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 224- किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा साशय करेगा या विधि पूर्वक निरुद्ध हो, निकल भागता है तो

- दण्ड- 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 225- किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा

- दण्ड- 7 वर्ष और जुर्माना या दोनों से।

धारा 227- दण्ड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण

- शेष अवधि के लिये दण्ड।

धारा 228- न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोकसेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना

- दण्ड- 6 माह तक या जुर्माना 1000 रुपये या दोनों से।

धारा 228 क- कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण

- दण्ड- 2 वर्ष और जुर्माने से ।

धारा 229 क- जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गये व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता

- दण्ड- 1 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

अध्याय – 12

सिक्को और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से।

धारा 256- सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 257- सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना या खरीदना या व्ययनित करना

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 258- कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 259- सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना– असली के रूप प्रयोग में लाएगा

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 260- किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना

- दण्ड- 7 वर्ष या जुर्माने से या दोनो से।

धारा 263 क- बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध

- दण्ड- 200 रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

अध्याय – 14

लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 268- लोक न्यूसेन्स

अवयव-

- कार्य अवैध लोप द्वारा करना।
- जिससे क्षति, संकट या क्षोभ सामान्य लोगो को उत्पन्न हो।
- सार्वजनिक अधिकार के प्रयोग में क्षति, बाधा या संकट उत्पन्न करे।

धारा 269

उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो

- दण्ड- 6 मास तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 270

परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो

- दण्ड- 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 272

विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से

धारा 273

अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से

धारा 274 -औषधियों का अपमिश्रण

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से

धारा 275 -अपमिश्रित औषधियों का विक्रय

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से

धारा 276

औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय

- दण्ड- आजीवन कारावास और जुर्माने से

धारा 277

लोक जलश्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना

- दण्ड- 3 मास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से

धारा 278

वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना

- दण्ड- 500 रुपये जुर्माना

धारा 279

लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना

- दण्ड- 6 मास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से।

धारा 283

लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा

- **दण्ड- 200 रुपये जुर्माना।**

धारा 285

अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण

- दण्ड- 6 मास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से ।

धारा 289

जीव-जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण

- दण्ड- 6 मास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से ।

धारा 292

अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि

- दण्ड- 2 वर्ष तक और 2000 रुपये जुर्माना
- दूसरी बार दोषसिद्धि की दशा में 5 वर्ष तक और 5000 रुपये जुर्माना।

अध्याय – 15
धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

धारा 295

किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना या किसी पवित्र वस्तु को नष्ट कर देना

- दण्ड- 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 295 क

बिमार्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग धर्म या धार्मिक विश्वासो को अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओ को आहत करने के आशय से किये गये हो।

- दण्ड- 3 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 296

धार्मिक जमाव में विघ्न/बाधा करना

- दण्ड- 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 297

कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना

- दण्ड- 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 298

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि

- दण्ड- 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

अध्याय – 16

मानव-शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 299 - आपराधिक मानव वध

अवयव-

- किसी मानव की मृत्यु कारित करना।
- ऐसी मृत्यु कार्य द्वारा कारित हो।
- कार्य मृत्यु करने के आशय से या
- ऐसी शारिरिक उपहति जिससे मृत्यु होना समभाव्य हो।
- कार्य ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करने के लिये किया गया हो।

धारा 300- हत्या

अवयव-

- अपवादिक दशाओ को छोडकर मानववध हत्या है।
- मृत्यु कारित करने के आशय से या
- ऐसी शारिरिक उपहति कारित की जाये जिससे मृत्यु होना समभाव्य हो।
- प्रकति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करना पर्याप्त हो।
- इस ज्ञान से कि उस कार्य से मृत्यु हो जायेगी ऐसी शारिरिक उपहति करे।

धारा 301

जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था , उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध

अवयव-

- ऐसी बात करने के द्वारा जिसमें मृत्यु कारित करना हो।
- मृत्यु कारित करने का उसका आशय ना हो।
- उसकी मृत्यु कारित करेगा।

धारा 302

हत्या के लिये दण्ड

- मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से।

धारा 304

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिये दण्ड

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।
- दण्ड- 10 वर्ष तक या जुर्माने या दोंनो से।

धारा 304 क

उपेक्षा या उतावलापन द्वारा मृत्यु कारित करना

- दण्ड- 02 वर्ष या जुर्माना या दोनों से।

धारा 304 ख

दहेज मृत्यु- जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के

- दण्ड- आजीवन कारावास जो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी।

धारा 306 - आत्महत्या का दुष्प्रेरण

- **दण्ड** 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 304 ख

दहेज मृत्यु- जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के

- दण्ड- आजीवन कारावास जो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी।

धारा 306

आत्महत्या का दुष्प्रेरण

- **दण्ड** 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न

- **दण्ड** 10 वर्ष तक और जुर्माने से।
- उपहति होने की दशा में- आजीवन कारावास से दण्डित होगा।

<u>धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न</u>

- **दण्ड** 10 वर्ष तक और जुर्माने से।
- उपहति होने की दशा में- आजीवन कारावास से दण्डित होगा।

<u>धारा 308 अपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न</u>

- दण्ड – 07 वर्ष या जुर्माना या दोनो से।

धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न करेगा

- दण्ड- 01 वर्ष या जुर्माना या दोनों से।

धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना

- दण्ड- आजीवन कारावास या दस वर्ष और जुर्माने से।

धारा 315

शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य

- दण्ड- 10 वर्ष या जुर्माना या दोनों से।

धारा 317

शिशु की माता पिता या संरक्षक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु का असुरक्षित स्थान पर डाल देना या परित्याग कर देना

- दण्ड- 07 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से ।

धारा 318

मृत शरीर के गुप्त व्ययन (निस्तारण) द्वारा जन्म छिपाना

दण्ड- 02 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से

धारा 319 उपहति

अवयव-

- किसी व्यक्ति को-
- शारिरिक पीडा
- रोग या अंग शैथिल्य कारित करना।

धारा 320- घोर उपहति

नीचे लिखी किस्मे घोर कहलाती है

- पुंसत्वहरण
- किसी नेत्र की दृष्टि स्थायी विच्छेद।
- अंग या जोड का विच्छेद।
- अंग या जोड की शक्तियो का नाश।

- सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण।
- किसी कान के सुनने की शक्ति का स्थायी विच्छेद।
- अस्थि या दांत का भंग होना
- व्यक्ति 20 दिनो तक तीव्र शारिरिक पीड़ा में रहा हो।
- सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो।

धारा 321 स्वेच्छया उपहति कारित करना

अवयव-

- उपहति ज्ञान के साथ करता है।
- सम्भाव्य जानता है कि उपहति कर रहा है।

धारा 322 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

अवयव-

- आशय के साथ उपहति कारित करना।
- जानते हुये ऐसी उपहति करना जो गम्भीर प्रकृति की हो।

धारा 323 स्वेच्छया उपहति कारित करने पर दण्ड

- दण्ड- 01 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से ।

धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना

- दण्ड- 03 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 325 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड

- दण्ड- 07 वर्ष और जुर्माना से।

धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना-

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 326 क तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम नहीं और जुर्माना पीड़ित के इलाज हेतु

धारा 326ख स्वेच्छया तेजाब फेकना या फेकने का प्रयत्न करना-

- दण्ड- 05 वर्ष से कम नहीं जो 07 वर्ष तक हो सकेगी।

धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माना।

धारा 330 संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

- दण्ड- 07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 331 संस्वीकृति उद्दापित करने लिये या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया उपहति कारित करना

- दण्ड- 03 वर्ष तक और जुर्माने से या दोनो से।

धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये

- दण्ड- 06 माह तक या 500 रुपये जुर्माने से या दोनों से।

धारा 336 कार्य जिससे दूसरो का जीवन या बैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाय-

- दण्ड- 03 माह तक या 250 रुपये जुर्माने या दोनों से ।

धारा 338

ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों के जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाये-

- दण्ड- 02 वर्ष तक या जुर्माना से या दोनों से

धारा 339 सदोष अवरोध

अवयव-

- व्यक्ति को स्वेच्छया बाधा डालना।
- उस दिशा में जाने से निवारित करना जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार हो।

धारा 340 सदोष परिरोध

अवयव:

- व्यक्ति का सदोष अवरोध हो
- उसे निश्चित परिसीमा से बहार जाने से रोक दे।

धारा 341 सदोष अवरोध के लिये दण्ड

- दण्ड- 01 माह तक या 500/- रू0 तक जुर्माना या दोंनों से

धारा 342 सदोष परिरोध के लिये दण्ड

- दण्ड- 01 वर्ष तक या 1000/- रू0 तक जुर्माना या दोंनों से

धारा 349 बल

अवयव:

- शारिरिक शक्ति द्वारा
- व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनतता कारित करे।
- ऐसे स्पर्श से जिससे व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़े।

धारा 350 आपराधिक बल

अवयवः

- व्यक्ति के विरुद्ध साशय बल प्रयोग
- उसकी सम्मति के बिना प्रयोग किया गया हो।
- अपराध करने के लिये किया गया हो।
- भय या क्षोभ करने के लिये किया गया हो।

धारा 351 हमला

अवयव:

- अंग विच्छेद या तैयारी करना।
- आशय या ज्ञान से आशंका उत्पन्न करना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।

धारा 352 गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये दण्ड

- 03 माह तक या जुर्माना 500/- तक या दोनों से

धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिये हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

- दण्ड- 02 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों।

धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

- **दण्ड-** 05 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 354क लैगिंक उत्पीड़न और लैगिंक उत्पीड़न के लिये दण्ड

- दण्ड-- 03 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से

धारा - 354ख विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग

- **दण्ड-** 07 वर्ष तक जो 03 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से।

धारा - 354ग दृश्यकारिता

प्रथम अपराध के लिये

- दण्ड- 03 वर्ष तक जो 01 वर्ष से कम नही होगी। और जुर्माने से

द्वितीय अपराध के लिये

- दण्ड- 07 वर्ष जो 03 वर्ष से कम नही होगा।

धारा 354घ पीछा करना

- प्रथम अपराध के लिये
- दण्ड- 03 वर्ष तक और जुर्माने से।
- द्वितीय अपराध के लिये
- दण्ड- 05 वर्ष और जुर्माने से।

धारा 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति को चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

- दण्ड- 02 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा 359 - अपहरण

02 प्रकार के-

- भारत में से ।
- विधि पूर्ण संरक्षता में से ।

धारा 360 - भारत में से व्यपहरण

अवयव-

- शिकार पुरुष या स्त्री दोनो होते है।
- वयस्क या अवयस्क कोई भी हो सकता है।

धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण

अवयव-

- किसी अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति को ले जाना।
- बहका ले जाना।
- नर हो तो 16 वर्ष से कम।
- नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु की हो।
- विधिक संरक्षक अनुमति के बिना ले जाये।
- विकृतचित्त या अवयस्क की विधिक संरक्षकता में से सहमति के बिना ले जाये।

धारा 362 अपहरण

अवयव-

- बलपूर्वक बाध्यता के साथ।
- प्रवंचना पूर्व उपायो द्वारा।
- उत्प्रेरण द्वारा।
- किसी स्थान से ले जाने का हो।

धारा 363 व्यपहरण के लिये दण्ड

- **दण्ड-** 07 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 363 क – भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्रास्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 364 हत्या करने के लिये व्यपहरण या अपहरण

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 364 क – फिरौती (किसी विदेशी राज्य या अन्तराष्ट्रीय अंतर सरकारी या किसी अन्य व्यक्तियों को किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने के लिये व्यपहरण-

- दण्ड- मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से।

धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से अपहरण या व्यपहरण

- दण्ड- 07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 366 विवाह आदि को करने के लिये विवश करने के लिये किसी स्त्री को व्यपहृत या अपहृत करना या उत्प्रेरित करना जिसमें संभोग करने के लिये हो तो -

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माना।

धारा 366ख

विदेश से लड़की का आयात करना वह भी संभोग के लिये तो

- **दण्ड-** 10 वर्ष तक और जुर्माना से।

धारा 368

व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना

- दण्ड- व्यपहरण या अपहरण के दण्ड से।

धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना

- दण्ड- 07 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 370 (क) ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यपार किया गया, शोषण

दण्ड-07 वर्ष तक जो 05 वर्ष से कम नही और जुर्माने से

लैगिक शोषण की दशा में

- **दण्ड-05 वर्ष तक जो 03 वर्ष से कम नही होगा और जुर्माने से**

धारा 375 बलात्संग

अवयव-

- जहा ऐसा अपराध सात परिस्थितियो में से किसी एक से अधीन किया जाये –
- उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।
- स्त्री की सम्मति के बिना।
- उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति को मृत्यु या उपहति के भय में डालकर सम्मति प्राप्त की गयी हो।
- ऐसी सम्मति जिसके संबंध में नही जानती कि वह पुरुष उसका पति है।

- विधिपूर्वक विवाहित है।
- विकृतचित्त या मतता की दशा में है।
- कार्य की प्रकृति और परिणाम जानने में असमर्थ है।
- सम्मति जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की हो।
- सम्मति संसूचित करने में असमर्थ हो।
- 15 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन बलात्कार कहलायेगा।

धारा 376 बलात्संग के लिये दण्ड

- आजीवन कारावास जो 07 वर्ष से कम न होगा और जुर्माने से है।
- अभिरक्षा में बलात्संग होने की दशा में दण्ड।
- आजीवन कारावास जो 10 वर्ष से कम नही होगा और जुर्माने से।

धारा 376 (क) पीडिता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रीय स्थिति में बने रहने के लिये परिणाम उत्पन्न करने के लिये दण्ड

- मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से

धारा 376 (ख) प्रथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन

- दण्ड-07 वर्ष तक जो 02 वर्ष से कम नही होगा और जर्माने से

धारा 376 (ग) प्राधिकार व्यक्ति द्वारा मैथुन

- 10 वर्ष तक जो 05 वर्ष से कम नही होगी और जुर्माने से

धारा 376 (घ) सामूहिक बलात्संग

- आजीवन कारावास जो 20 वर्ष से कम नही होगा और जुर्माने से

धारा 376 (ड़) पुनरावृत्ति अपराधी के लिये दण्ड

- मृत्यु या आजीवन कारावास।

धारा 377- प्रकृति के विरुद्ध अपराध-

- दण्ड- 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

अध्याय – 17

सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 378- चोरी

अवयव -

- 1.सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय,
- 2.सम्पत्ति चल हो।
- 3.सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाय।
- 4.सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति लिए बिना लिया जाय,
- 5.सम्पत्ति को लेने के लिए उसे उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाय।

धारा 379- चोरी के लिए दण्ड

- तीन वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से

धारा 380- निवास गृह आदि में चोरी

- दण्ड- 7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 381

लिपिक और सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी

- 7 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 382

- 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 383- उद्दापन की परिभाषा

- अवयवः-
- साशय क्षति कारित करने के भय में डाले।
- कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करे।

धारा 384- उद्दापन के लिए दण्ड

- तीन वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से

धारा 385- उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना

- दण्ड- दो वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

धारा 386- किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन।

- 10 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 387- उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना

- 7 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 390- लूट

- लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है।
- सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का भय कारित किया जाता है।

धारा 391- डकैती

- जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त हो कर लूट करते हैं या
- करने का प्रयत्न करते हैं या
- ऐसे लूट करने वाले व्यक्ति की संख्या 05 या 05 से अधिक हो।

धारा 392- लूट के लिए दण्ड

- 10 वर्ष तक और जुर्माने से
- लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाये तो कारावास 14 वर्ष तक का होगा।

धारा 393- लूट करने का प्रयत्न

- 7 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 394- लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना

- दण्ड-आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 395- डकैती के लिए दण्ड

- दण्ड-आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 396- हत्या सहित डकैती

- दण्ड- मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 397

मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती

- दण्ड- 07 वर्ष से कम नही होगा।

धारा 398

घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न

- दण्ड -07 वर्ष से कम का नही होगा ।

धारा 399- डकैती करने के लिये तैयारी करना

- दण्ड -10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 401- चोरों की टोली का होने के लिये दण्ड

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 402- डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 405- आपराधिक न्यास भंग

- न्यस्त सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेना।
- विवक्षित या वैध संविदा का अतिक्रमण करके संपत्ति का उपयोग करे।
- जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का सहन करे।
- बेईमानी पूर्वक सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करे।

धारा 406- आपराधिक न्यास भंग के लिए दण्ड

- तीन वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से

धारा 407- वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 408- लिपिक या सेवक द्वारा अपराधिक न्यास भंग

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 409- लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यासभंग

- दण्ड -आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 410- चुराई हुई सम्पत्ति

अवयव-

- वह सम्पत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, या
- उद्दापन या लूट द्वारा अन्तरित किया गया है
- सम्पत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है

धारा 411-

- दण्ड -03 वर्ष तक या जुर्माने से

धारा 413

चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना

- दण्ड -10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 414

चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना

- दण्ड -03 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 415- छल

अवयव

- किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाय,
- (क) प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से,
- (ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति परिदत्त करे।
- (ग) किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करे,
- (घ) कार्य करने या न करने का लोप करने के लिये उत्प्रेरित करे।
- उस लोप से शारिरिक, मानसिक ख्याति या सम्पत्ति का नुकसान हो।

धारा419- प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड

- दण्ड -10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 420- छल करना और सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 425- रिष्टि

अवयव -

- लोक या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान हो।
- किसी सम्पत्ति को नष्ट करना या
- उसकी स्थिति में कोई तब्दीली करना,
- सम्पत्ति नष्ट हो जाये या
- उपयोगिता कम हो जाये या
- उस पर क्षति कारक प्रभाव पड़े।

धारा 429- किसी मूल्य के ढोर, आदि को या पचास रुपए के मूल्य के किसी जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि

- दण्ड -05 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनो से।

धारा 430- सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि

- दण्ड -05 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनो से।

धारा 435- सौ रुपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि

- दण्ड -07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 436- गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थद्वारा रिष्टि

- दण्ड –आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 441- आपराधिक अतिचार

अवयव -

- व्यक्ति के अधिपत्य में विद्धमान किसी सम्पत्ति में प्रवेश,
- विधि सम्मत प्रवेश की दशा में विधि विरुद्ध रिति से सम्पत्ति पर बना रहना।
- ऐसी प्रविष्टि या अवैध रीति से बना रहना
- (क) कोई अपराध कारित करने
- (ख) जिसके आधिपत्य में सम्पत्ति हो अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करने का आशय हो।

धारा 442- गृह-अतिचार

अवयव-

- किसी निर्माण, तम्बू या जलयान जो मानव निवास के रुप में उपयोग में आता हो
- उपासना स्थल के रुप में प्रयुक्त हो,
- प्रवेश करके या उसमें बना रहकर।
- अपराधिक अतिचार करना।

धारा 443- प्रच्छन्न गृह अतिचार

अवयव-

- जिसे गृह अतिचार की संज्ञा दी जा सके।
- ऐसा अतिचार जिसे प्रच्छन्न गृह अतिचार कहा जा सके।

धारा 444- रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार

अवयव

- सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व,
- प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है।

धारा 445- गृह भेदन

अवयवः-

- उस रास्ते से प्रवेश करना या बहार निकलना,
- जिसे स्वंय या दुष्प्रेरक ने बनाया हो।
- दिवार या निर्माण पर सीढी द्वारा या,
- चढकर पहुँचना या बहार निकलना।
- किसी ताले को खोलकर प्रवेश तथा बहार निकलना।
- किसी प्रकार की धमकी के द्वारा प्रवेश या बहार आना ।
- बन्द रास्ते को खोलकर गृह अतिचार करना।

धारा 446-रात्रौ गृह-भेदन

- सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन करना

धारा 447- आपराधिक अतिचार के लिए दण्ड

- दण्ड- 03 मास तक या 500 रुपये जुर्माना या दोनो।

धारा 448- गृह अतिचार के लिए दण्ड

- दण्ड- 01 वर्ष तक या 1000 रुपये जुर्माना या दोनो।

धारा 449

मृत्यु से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार

- आजीवन कारावास या 10 वर्ष, और जुर्माने से ।

धारा 450

आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार

- 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 451

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार

- 02 वर्ष और जुर्माने से ।
- चोरी की दशा में 07 वर्ष तक।

धारा 452- उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार

- 07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 453- प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दण्ड

- 02 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 454- कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन

- 03 वर्ष तक और जुर्माने से।
- चोरी की दशा में 10 वर्ष तक।

धारा 455- उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन

- 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 456

रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन के लिए दण्ड

- 03 वर्ष तक और जुर्माने से ।

धारा 457

कारावास से दण्डनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन

- 05 वर्ष तक और जुर्माने से ।
- चोरी की दशा में 14 वर्ष तक।

धारा 458

उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन

- दण्ड- 14 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 459

प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करने समय कारित घोर उपहति

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

धारा 460रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्त सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से

अध्याय – 18

दस्तावेजों और सम्पत्ति चिन्हों सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 463- कूट रचना

- मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या
- दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को या
- लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या
- क्षति करने के आशय से रचता है या
- किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या
- कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या
- अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, या
- आशय से रचता है कि कपट करे।

धारा 464- मिथ्या दस्तावेज रचना

अवयवः-

- बेईमानी या कपटपूर्वक दस्तावेज या उसके भाग को रचता,
- हस्ताक्षरित मुद्रांकित या निष्पादित करता है।
- किसी भाग को रचकर प्रेषित करता है।
- इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर करता है।
- प्रमाणित करने वाला कोई चिन्ह लगाता है।
- रचना को संबंध में जानता है।
- विकृतचित्त या मतता में होने के कारण परिवर्तन के संबंध में न जान सके।
- प्रवंचना के साथ किया जाये ।

धारा 465- कूटरचना के लिए दण्ड

- दण्ड- 02 वर्ष तक या जुर्माना या दोनो से।

धारा 467- मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूटरचना

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 468- छल के प्रयोजन से कूट रचना

- दण्ड-7 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 470- कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख

- पूर्णतः या भागतः कूटरचना की गयी हो
- इलैक्ट्रानिक दस्तावेज या अभिलेख हो।

धारा 471- कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना

- कूटरचना के दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

धारा 477 क- लेखा का मिथ्याकरण

अवयव-

- लिपिक,अधिकारी या सेवक की हैसियत में कार्य कर रहा हो।
- कपट करने के आशय से।
- पुस्तक,कागज,लेख या मूल्यवान प्रतिभूति या
- लेखा के नष्ट, परिवर्तित, विकृत या मिथ्याकृत कर दे
- मिथ्या पृवष्टि करे या करने का लोप करे।

धारा 489क- करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण

- दण्ड- आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 489ख- कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना

- **दण्ड-** आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 489ग- कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना

- दण्ड- 07 वर्ष तक या जुर्माना या दोनो से।

धारा 489घ- करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना

- **दण्ड-** आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 489ड़- करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग

- दण्ड- जुर्माना 100 रुपये तक।
- पुलिस अधिकारी को नाम पता बताने से इन्कार करने की दशा में 200 रुपये जुर्माना।

अध्याय – 20
विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 494

पति या पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह करना

- दण्ड-07 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 495- वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है

- दण्ड-10 वर्ष तक और जुर्माने से।

धारा 497- जारकर्म

इस अपराध के निम्न अवयव हैं-

- दण्ड-05 वर्ष तक या जुर्माने से।
- पत्नी दुष्प्रेरक के रुप में दण्डनीय नही।

धारा-498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले आना या निरुद्ध रखना

- दण्ड-02 वर्ष तक और जुर्माने से।

अध्याय – 20- क

पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में

धारा 498क- किसी स्त्री के पति अथवा पति के सम्बन्धियों द्वारा उसको क्रूरता के अधीन रखना

- दण्ड-03 वर्ष तक और जुर्माने से।

अध्याय – 21
मानहानि के विषय में

धारा 499- मानहानि

अवयव

- किसी व्यक्ति के बारे में लांक्षऩ लगाये या प्रकाशित करे।
- जिसे ख्व्याति को नुकसान हो।
- ऐसा प्रकाशन अपवाद के अन्तर्गत न आता हो।

धारा 500- मानहानि के लिए दण्ड

- 2 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से।

अध्याय – 22
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 503-आपराधिक अभित्रास

अवयव -

- क्षति करने की धमकी देना।
- एसी धमकी शरीर या सम्पत्ती या
- ख्याति के विपरित हो।
- संत्रास कारित हो।
- अवैध कार्य कराया जाये।
- वैध कार्य का लोप कराया जाये।

धारा 504- लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान

- दण्ड- 2वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से।

धारा – 506 आपराधिक अभित्रास के लिये दण्ड – जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा दण्ड

- दो वर्ष तक या जुर्माना या दोनो से
- धमकी, मृत्यु या घोरउपहति की देने पर 07 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनो से।

धारा 509- शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं

- 03 वर्ष तक की और जुर्माने से ।

अध्याय – 23

अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में

धारा 511- आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधो को करने के प्रयत्न करने के लिये दण्ड

- आजीवन कारावास या दीर्घतम अवधि के आधे से।